



नागरिक/ग्राहक चार्टर

विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय निर्माण भवन, नई दिल्ली

आपके प्रति महामारी प्रतिबद्धता

क्र.सं.	हमारी सेवाएं और कार्यकलाप	संबंधित अधिकारी	हमारी सेवाएं (दिन)
1.	उद्यम पंजीकरण	श्री ए.के. तमारिया (उप निदेशक) दूरभाष: एक्सटेंशन 2433	ऑनलाइन
2.	सूक्ष्म, लघु उद्यमों हेतु क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) को निधियां जारी करना	श्री दीपक राव (संयुक्त विकास आयुक्त) दूरभाष: 011-23061726	30
3.	एमएसई-सीडीपी के अंतर्गत निधियां जारी करना	श्री यू.सी. शुक्ला (निदेशक) दूरभाष: 011-23062148	30
4.	क्रेडिट लिंकड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस) के अंतर्गत अनुमोदित चयनित उप क्षेत्रों/उत्पादों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्रेडिट लिंकड कैपिटल सब्सिडी (सीएलसीएसएस)	श्री दीपक राव (संयुक्त विकास आयुक्त) दूरभाष: 011-23061726	90 (बजटीय प्रावधान की उपलब्धता के अध्यक्षीन)
5.	विकास आयुक्त (एमएसएमई) के कार्यालय द्वारा एमएसएमई-टल रूमों/प्रौद्योगिकी विकास केंद्रों को निधियां जारी करना	श्री संजीव चावला (निदेशक) दूरभाष: 011-23061178	30
6.	क्रेडिट लिंकड कैपिटल सब्सिडी-प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम (सीएलसीएसएस- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों आईपीआर पर जागरूकता पैदा करना।	श्री विनम मिश्रा निदेशक (प्रौद्योगिकी एवं परियोजना) दूरभाष: 011-23063198	90, बशर्ते एमएसएमई द्वारा प्रस्तुत पूरी तरह से भरे गए

	टीयूएस), (आईपीआर, जेड, लीन विनिर्माण डिजाइन) स्कीमों के अंतर्गत प्रस्तावों का अनुमोदन	पेटेंट/जीआई/ट्रेड मार्क (अनुमोदन के पश्चात) की प्रतिपूर्ति	आवेदन हो
		जेड प्रमाणन स्कीम में एमएसएमई को वित्तीय सहायता: नया जेड पोर्टल, परामर्श चरण में ।	90 दिनों के भीतर, बशर्ते एमएसएमई द्वारा सभी संगत दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण हो
		लीन विनिर्माण: 1. मिनी क्लस्टर्स को सैद्धांतिक अनुमोदन 2. एसपीवी को अनुमोदन	60
		एमएसएमई क्षेत्र को विनिर्माण के लिए डिजाइन विशेषज्ञता: 1. कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा परियोजना पैनल स्तर पर डिजाइन/छात्र परियोजनाओं को सैद्धांतिक अनुमोदन 2. परियोजना निगरानी एवं सलाहकार समिति पर डिजाइन परियोजना अनुमोदन	90
60			
90			
60			
90			
7.	त्वरित शिकायत निवारण	डॉ. ओ.पी. मेहता निदेशक (समन्वय) दूरभाष: 011-23063363	60 (विलंब के मामले में, विलंब के लिए कारण देते हुए अंतरिम उत्तर)